


15

07.02.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-2 समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने आवेदन को लेकर गंभीर नहीं हैं।

सिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम्य पैरवी' व अदम्य हानि में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो

  
सहायक कमिश्नर  
(S.D.O.), जावनेर

